बिहार सरकार

# समाहरणालय, अरवल

ई-मेल–dm-arwal.bih@nic.in वेबसाइट - arwal.bih.nic.in दूरभाष /फैक्स - 06337-228988

पत्रांक- दिनांक -

## आदेश

विशेष सचिव, गृह विभाग (विशेष शाखा), बिहार सरकार, पटना के आदेश ज्ञापांक–जी/आपदा–06–02/2020–116/वि0स0को0 दिनांक 08.10.2020 द्वारा **कंटेनमेन्ट जोन के बाहर दिनांक 15.10.2020** से सामाजिक, शैक्षणिक, खेल, मनोरंजन, सांस्कृतिक, धार्मिक, राजनीतिक कार्यक्रमों एवं अन्य सभाओं को विनियमित करने हेतु मानक संचालन प्रक्रिया (SOP) जारी किया गया है। गृह विभाग (विशेष शाखा) द्वारा **निम्न आदेश निर्गत हैं** :–

1. यदि कार्यक्रम/सभा का आयोजन बंद स्थल (Closed Spaces) में किया जा रहा है तो अधिकतम 200 व्यक्तियों की अंतिम सीमा के साथ हॉल की क्षमता के 50 प्रतिशत उपस्थिति की अनुमति रहेगी।
2. बंद स्थल (Closed Spaces) में एयर कंडीशनिंग उपकरणों की उपलब्धता की स्थिति में उनकी तापमान सेटिंग 24–30 की सीमा में होनी चाहिए। यदि एयर कंडिशनर उपलब्ध न हों, तो ताजी हवा का आवागमन जितना संभव हो, उतना सुलभ किया जाना चाहिए और क्रॉस वेंटिलेशन की पर्याप्त व्यवस्था होनी चाहिए।
3. यदि कार्यक्रम/सभा का आयोजन खुले स्थल (Open Spaces) में किया जा रहा है, तो सक्षम प्राधिकार मैदान अथवा सभा स्थल के आकार को ध्यान में रखते हुए समुचित संख्या में लोगों की उपस्थिति की अनुमति प्रदान करेगा।
4. कार्यक्रम/सभा में बैठने या खड़े रहने की व्यवस्था इस तरह से की जाय, ताकि पर्याप्त सामाजिक दूरी बनी रहें।
5. कार्यक्रम/सभा में शामिल सभी व्यक्ति आपस में कम से कम छः फीट की दूरी बनाये रखेंगें।
6. कार्यक्रम/सभा में शामिल सभी व्यक्ति अनिवार्यतः फेस कवर/मास्क का उपयोग करेंगें।
7. प्रवेश के समय हाथ सेनेटाईजर से सेनेटाइज करने अथवा धोने तथा थर्मल स्क्रीनिंग की व्यवस्था करना अनिवार्य होगा।
8. श्वसन शिष्टाचार (Breathing Etiquettes) का कड़ाई से पालन सुनिश्चित किया जाना चाहिए। कक्ष में अथवा कार्यक्रम में उपस्थित सभी व्यक्ति खाँसते/छींकते समय टिशू पेपर/रूमाल/मुड़ी हुई कोहनी का प्रयोग करेंगें। कार्यक्रम/सभा के आयोजक सुनिश्चित करेंगें कि प्रयुक्त टिशू पेपर का ठीक से निपटारा किया जाए।
9. कार्यक्रम/सभा स्थल के रूप में प्रयुक्त परिसर/मैदान में अक्सर स्पर्श की जाने वाली सतहों, यथा–दरवाजे का हैंडल, माईक, कुर्सी, टेबल, नल, रेलिंग, बैरीकेडिंग आदि को समय–समय पर साफ एवं प्रभावी किटाणुनाशक से विसंक्रमित किया जाए।
10. कार्यक्रम/सभा में यत्र–तत्र थूकना सर्वथा वर्जित होगा।
11. कार्यक्रम/सभा हेतु प्रयुक्त पार्किंग स्थल एवं परिसर के बाहर समुचित भीड़ प्रबंधन में विधिवत् सामाजिक दूरी के मानदंडों को सुनिश्चित किया जायेगा।
12. कार्यक्रम/सभा में कोविड–19 बीमारी के लक्षणों से रहित (असंक्रमित) व्यक्तियों को ही शामिल होने की अनुमति दी जाए।
13. कार्यक्रम/सभा में शामिल व्यक्ति एक–दूसरे से मिलते समय परस्पर शारीरिक सम्पर्क वाले अभिवादन यथा– हाथ मिलाना, गले मिलना आदि से बचेंगें ताकि पारस्परिक दूरी बनी रहें।
14. कार्यक्रम/सभा के आयोजक आगंतुकों द्वारा छोड़े गये मास्क/फेस कवर/दस्ताने के समुचित निपटान की व्यवस्था सुनिश्चित करेंगें।
15. कार्यक्रम/सभा में शामिल सभी व्यक्तियों को आरोग्य सेतु एप का प्रयोग करने की सलाह दी जाती है।

16. सामाजिक दूरी के अनुपालन के लिए **सक्षम मजिस्ट्रेट (अनुमंडल पदाधिकारी)** के द्वारा दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 144 के तहत आदेश निर्गत किया जाएगा।
17. कार्यक्रम/सभा के दौरान भारत निर्वाचन आयोग द्वारा जारी आदर्श चुनाव आचार संहिता का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जाएगा।
18. सक्षम प्राधिकार की पूर्वानुमति प्राप्त कर किसी प्रकार के कार्यक्रम/सभा का आयोजन किया जायेगा।
19. यदि किसी कार्यक्रम/आयोजन के संबंध में विशिष्ट दिशा–निर्देश जारी किये जाते हैं, तो विशेष दिशा–निर्देश की अधिमान्यता इस मानक संचालन प्रक्रिया के उपर होगी।

**अनुमंडल पदाधिकारी, अरवल/सभी प्रखंड विकास पदाधिकारी/अंचलाधिकारी/थानाध्यक्ष/कार्यपालक पदाधिकारी, नगर परिषद, अरवल** को निदेश दिया जाता है कि उक्त आदेश का अनुपालन कड़ाई से सुनिश्चित करायेंगें।

**अनुमंडल पदाधिकारी, अरवल एवं अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी, अरवल** को निदेश दिया जाता है कि उक्त आदेश के अनुपालन कराने हेतु सभी आवश्यक कार्रवाई करेंगें एवं उल्लघंन की स्थिति में **आपदा प्रबंधन अधिनियम, 2005 एवं भारतीय दण्ड संहिता की धारा 188 के तहत विधि सम्मत** कार्रवाई करेंगें।

**जिला सूचना एवं जन संपर्क पदाधिकारी, अरवल** को निदेश दिया जाता है कि उक्त आदेश का व्यापक प्रचार–प्रसार हेतु सभी आवश्यक कार्रवाई करेंगें।

ह0/–
जिला पदाधिकारी,
अरवल।

**ज्ञापांक :** 1134/गो0 **अरवल दिनांक** 08/10/2020

| | |
|---|---|
| प्रतिलिपि : | पुलिस अधीक्षक, अरवल को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित। |
| प्रतिलिपि : | अपर समाहर्ता एवं उप विकास आयुक्त, अरवल को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित। |
| प्रतिलिपि : | सिविल सर्जन, अरवल/जिला परिवहन पदाधिकारी/जिला सूचना एवं विज्ञान पदा0, अरवल/प्रभारी पदाधिकारी, जिला नियंत्रण कक्ष/प्रभारी पदाधिकारी, आपदा प्रबंधन शाखा/जिला पंचायती राज पदा0/जिला जन सम्पर्क पदा0/कार्यपालक पदा0, नगर परिषद्/अनुमंडल पदा0 एवं अनुमंडल पुलिस पदा0, अरवल जिला को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित। |
| प्रतिलिपि : | निर्वाची पदाधिकारी, 214–अरवल एवं 215–कुर्था को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित। |
| प्रतिलिपि : | सभी प्रखंड विकास पदाधिकारी/अंचल अधिकारी एवं थाना/ओ0पी0 अध्यक्ष, अरवल जिला को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित। |
| प्रतिलिपि : | सभी संबंधित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित। |

जिला पदाधिकारी,
अरवल।

D:\Office\2020\Order\October\Re-Opening 08.10.2020.doc